प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौडगढ थाना सी.पी.एस, ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स 217/23 दिनांक 10/8/2023

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट : – धाराएं 7, पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधन) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. : –
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं : –

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 196 समय 7:50pm
(2) अपराध के घटने का दिन **बुधवार** दिनांक 09.08.2023 समय 01.47 पी.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 03.08.2023 समय 09.30 ए.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 350 किलोमीटर
(2) पता – कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन डिपो लिमिटेड, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ के डिपो प्रबन्धक का कक्ष ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

परिवादी (प्रथम)
(1) नाम : श्री ललित सोनी
(2) पिता का नाम : श्री विष्णु कुमार सोनी
(3) आयु : 18 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : श्रमिक (मजदूर)
(7) पता : निवासी ग्राम मूंगा का खेडा, तहसील व पुलिस थाना गंगरार, जिला चित्तौडगढ

परिवादी (द्वितीय)
(1) नाम : श्री नारायण सोनी
(2) पिता का नाम : श्री सोहन लाल जी सोनी
(3) आयु : 26 साल
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : श्रमिक (मजदूर)
(7) पता : निवासी ग्राम मूंगा का खेडा, तहसील व पुलिस थाना गंगरार, जिला चित्तौडगढ

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री रविन्द्र कुमार पारीक पुत्र श्री रामगोपाल पारीक उम्र 58 साल जाति पारीक निवासी मकान नम्बर 10 एम. 10, नवजीवन स्कूल के पास, आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाडा हाल डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ ।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	18200 रूपये	परिवादीगण श्री ललित सोनी (प्रथम) के डाला खाली कराने के 5000 रूपये एवं श्री नारायण सोनी (द्वितीय) के डाला खाली कराने के 13200 रूपये सहित कुल रिश्वत राशि 18200 रूपये की मांग कर परेशान करने पर परिवादीगणों द्वारा दिनांक 03.08.2023 को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ

पर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश की जिस पर उक्त दिनांक 03.08.2023 एवं 07.08.2023 को करवाई गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 09.08.2023 को नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करते हुए (प्रथम) के डाला खाली कराने के 5000 रूपये एवं श्री नारायण सोनी (द्वितीय) के डाला खाली कराने के 13200 रूपये सहित कुल रिश्वत राशि 18200 रूपये की रिश्वत राशि आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ द्वारा अपनी मांग अनुसार प्राप्त करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया ।

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य — 18200 रूपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा / यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चितौड़गढ़

विषय : -- रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार करवाने हेतु ।

महोदय

निवेदन है कि "मैं ललित सोनी पुत्र विष्णु कुमार सोनी उम्र 18 साल जाति सोनी निवासी गूंगा का खेडा चित्तौडगढ, मेरा मित्र नारायण सोनी पुत्र सोहन लाल सोनी उम्र 26 साल पैशा मजदूरी निवासी गूंगा का खेडा चित्तौडगढ के रहने वाले है, हम दोनो R.S.B.C.L. डिपो चितौडगढ में मजदुरी करते है हमारा काम सराब कि गाडीया खाली करना और पुनह भरना है फैक्ट्रीयो से जो शराब के ट्रक आते है उनको हम खाली करते है प्रति कार्टून 01.15 रूपये हमें मिलते है लोकल ठेको पर पे यही शराब वापस छोटी गाडीयो में भर कर भेजते है 01.15 रूपये प्रति कार्टन हमें सरकारी दर प्रति 15 दिन बाद हमारा ठेकेदार चन्द्रेश सिहं देता है हम लगभग 15–16 लेबर यहां काम करते है लेबर को प्रत्येक ट्रक वाला 100 से 300 रू. ट्रक खाली करवाई का डाला देता है जो लेबर का ही होता है दिन के 03–04 ट्रक खाली होते है तो हमारे को 1000–1500 रूपये मिल जाते है जो लेबर आपस मे बांट देती है इसी प्रकार छोटी गाड़ी भरवई के 50 रूपये हमको गाडी वाला देता है किंतु गत 1 वर्ष से वर्तमान डिपो मैनेजर हमारी डाला कमाई को स्वयं हडपना चाहता है इसके लिये यह अलग अलग तरीको से परेशान कर रहा तथा हमें शराब चोरी के झुठे केरा में फंसाने की धमकी देता है व डाले के पैसे मै ललित और नारायण ही ईकटठे करते है मई जून 2023 के 48,000 / -- रूपये डाले के मेरे पास ईकटे हुये थे जिनमें से पारीक साहब ने 24000 रूपये लिये बाकी के हम सभी गजदुर आपस में बाटं लिये तब बाकी के लिये पारीक साहब ने कहा की 5000 / -- रूपये मेरे को अभी के अभी देओ बाकी तेरे को प्रत्येक 15 दिन बाद जब पेमेंट मिलेगा तब 2–2 हजार रूपये दे देना मैनें पैसे नही दिये तो मेरे को काम पर लगाया नही 15 दिन में केवल 3 दिन काम पर लगाया एक जुलाई 2023 से अब तक का पेमेंट डाले का नारायण ने ईकटा किया है जुलाई महिने में 13200 / --रूपये डाले का ईकटा हुआ अब सारा रूपया रविन्द्र पारीक डिपो मेनेजर हमसे जबरदस्ती लेना चाहता है जबकी यह हमारा हक है अगर हम यह रूपये नही देगें तो ठेकेदार चन्द्रेश सिहं हमारी मजदुरी से काट कर पारीक साब को दे देगा यहा हमें मजदूरी से हटा देगा हम इसको रिश्वत नही देना चाहते है मैनेजर हमें केवल भरई जो केवल 50 रूपये प्रति गाडी है देना चाहता है और डाला प्रति ट्रक 100--300 रूपये स्वयं रखना चाहता है हमारी मेहनत का रूपया हम नही दे सकते है हमारी इनसे कोई उधारी नही है न ही कोई दुशमनी याह रंजीश है हम गरीब मजदूरी है आप कानूनी कार्यवाही करें। जुलाई के महिने में जीतने भी ट्रक आये हम उनकी सुची पेश कर रहें है" ।

प्रार्थी
एस.डी. / --
नारायण सोनी

प्रार्थी
एस.डी. / --
ललित सोनी पुत्र विष्णु कुमार सोनी
नि. गूंगा का खेडा चित्तौडगढ
M- 97843--99290

कार्यवाही पुलिस

ज्ञात रहे कि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनाक 31 जुलाई 2023 से 04 अगस्त तक राजकार्य एंव निजी कार्य से मुख्यालय से बाहर रहा तथा दिनांक 05 एवं 06 अगस्त 2023 का राजकीय अवकाश होने से दिनांक 07.08.2023 को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आया । दिनाक 01 एंव 02 अगस्त को खास विश्वसनीय मुखबिर ने जरिये वॉट्स–अप कॉल सूचना दी कि राजस्थान स्टेट बेवरिज कार्पोरेशन लिमिटेड चित्तौडगढ का मैनेजर श्री रविन्द्र कुमार पारिक मजदुरो से रिश्वत राशि मांग रहा है, मजदूर भयभीत है, जिस पर मैनें उन्हे कहा कि मजदुर एफ.आई.आर. लेकर एसीबी ऑफिस चित्तौडगढ पंहुचे। दिनांक 03.08.2023 को प्रातः 09.30 बजे श्री जितेन्द्र सिहं कानि0 नम्बर 514 से गेरी टेलिफोन वार्ता हुई जिसमें मैनें इस मामले का जिक्र किया तो श्री जितेन्द्र सिहं कानि0 ने बताया कि परिवादी ललित सोनी और नारायण सोनी, श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो मैनेजर, आर.एस.बी.सी.एल. चित्तौडगढ के खिलाफ शिकायत लेकर आ चुके है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 को परिवादीगणों की उक्त शिकायत के सम्बन्ध में रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाने के सम्बन्ध में निर्देश दिया ।

दर्ज रहे कि दिनांक 03.08.2023 को समय करीब 01.57 पी.एम पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने जरिये दूरभाष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं मालखाना प्रभारी श्री श्याम लाल हैड कानि0 से डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर परिवादीगणों के साथ आर.एस.बी.सी.एल. डिपो गुंगा का खेडा चित्तौडगढ पहुंच नियमानुसार रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने के उपरान्त पुनः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया। इस पर श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर तथा परिवादीगणों के द्वारा प्रस्तुत एफ.आई.आर. को मालखाने में सुरक्षित रखने के निर्देश दिये।

आज दिनांक 07.08.2023 को कार्यालय में परिवादीगण श्री ललित सोनी और श्री नारायण सोनी उपस्थित है उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष है इस प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें श्री ललित सोनी से 5000 रूपये और श्री नारायण सोनी से 13,200/– रूपये से श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक द्वारा मांगने का आरोप है । यह रूपया बतौर रिश्वत मांगा जा रहा है जो कि परम्परागत रूप से मजदुरों द्वारा ट्रक वालो से बतौर बक्शीस प्रति ट्रक 100–300 रूपये लिया जाता है। श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक यह रूपये अपने पद कि धौंस बताकर मजदूरों से हडपना चाहते है। उक्त मामले में श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने बताया कि प्रकरण में दिनाक 03.08.2023 को मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड किया जा चुका है। मालखाना प्रभारी श्री श्याम लाल हैउ कानि0 से डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मंगवा कर सूना गया तथा श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 द्वारा उक्त दोनो परिवादीगण के साथ जाकर जो वार्ता रिकार्ड कि गई है वह पर्याप्त साक्ष्य है। अतः मामले में अग्रिम कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

इसके उपरान्त समय करीब 07.13 पी.एम. पर परिवादी श्री नारायण सोनी के मोबाईल नम्बर 82902–05484 से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक के मोबाईल नम्बर 63769–14812 पर वार्ता करवाई गई तो उक्त वार्ता में रिश्वत मांग कि पुष्टी हुई। परिवादी के मोबाईल हेण्डसेट का स्पीकर ऑन करा उक्त वार्ता को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 07.28 पी.एम. पर परिवादी श्री नारायण सोनी के मोबाईल नम्बर 82905–98064 पर आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक के मोबाईल नम्बर 63769–14812 से कॉल आई, जिस पर उक्त कॉल से वार्ता हुई । उक्त वार्ता में रिश्वत मांग कि पुष्टी हुई। परिवादी के मोबाईल हैण्डसेट के स्पीकर को ऑन कर उक्त वार्ता को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड किया गया। परिवादी श्री नारायण सोनी के मोबाईल में दो सिमें है जिसमे से एक सीम के मोबाईल नम्बर 82905–98064 एंव दूसरी सीम के मोबाईल नम्बर 82902–05484 है । उक्त कॉल में दोनो परिवादीगणों से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक की वार्ता हुई है। इसके बाद समय करीब 07.49 पी.एम. पर श्री नारायण सोनी परिवादी (द्वितीय) के मोबाईल नम्बर 82905–98064 पर ठेकेदार श्री चन्द्रेश सिहं तंवर के मोबाईल नम्बर 98292–16413 से फोन आया, जिसमें इसी विषय वस्तु पर श्री नारायण सोनी और श्री चन्द्रेश सिंह तंवर के मध्य वार्ता होती है जिसमें श्री चन्द्रेश सिंह तंवर श्री नारायण सोनी को कहता है कि पारीक को रूपये दे दे, । परिवादी के मोबाईल हैण्डसेट का स्पीकर ऑन कर उक्त वार्ता को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड किया गया। इसके पश्चात् समय करीब 08.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बाद फारीख कार्यवाही के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को पुनः ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया । चुंकि आरोपी दिनाक 08.08.2023 को जयुपर जाने बात कह रहा है अतः

अग्रिम कार्यवाही दिनांक 09.08.2023 को अमल में लाई जावेगी । तत्पश्चात् परिवादीगणों को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये 18,200/–का प्रबन्ध कर गोपनीयता कि हिदायत देते हुये ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रूखसत किया गया। आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक के परिवादीगणों द्वारा बताये गये मोबाईल नम्बर 63769–14812 को ट्रू–कॉलर नामक एप पर चेक किया तो यह नम्बर डिपो प्रबन्धक चित्तौडगढ के नाम पर रजिस्टर होना पाया गया। इसी प्रकार ठेकेदार श्री चन्द्रेश सिहं तंवर के बताये गये मोबाईल नम्बर 98292–16413 को भी उक्त एप पर चेक किया तो वह नम्बर भी श्री चन्द्रेश सिहं तंवर के नाम होना पाया गया । इस पर अब तक की कार्यवाही से सम्बन्धित की लिखा–पढी की पत्रावली को ब्यूरो कार्यालय में सुरक्षित रखवाई गई ।

दिनांक 08.08.2023 को समय करीब 05.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू के समक्ष परिवादीगण श्री ललित सोनी (प्रथम) एवं श्री नारायण सोनी (द्वितीय) ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होकर बताया कि हम दोनो कल दिनांक 09.08.2023 को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 18200/– रूंपये के साथ ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर कार्यवाही हेतु उपस्थित हो जायेगें । इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो परिवादीगणों को दिनांक 09.08.2023 को प्रातः 07.00 ए.एम पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई । इसके पश्चात् समय करीब 05,15 पी.एम. पर श्री श्याम लाल हैड कानि0 नम्बर 105 को जरिये पत्र क्रमांक 1686 दिनांक 08.08.2023 द्वारा श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड चित्तौडगढ के नाम एवं पत्र क्रमांक 1687 दिनांक 08.08.2023 द्वारा श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चित्तौडगढ को जारी कर एक–एक स्वतन्त्र गवाह को दिनांक 09.08.2023 को प्रातः 07.00 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर भिजवाने के सम्बन्ध में पृथक–पृथक तहरीर देकर रवाना किया गया । इसके बाद समय करीब 05.45 पी.एम. पर श्री श्याम लाल हैड कानि0 नम्बर 105 ने ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं तहरीर लेकर श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), चित्तौडगढ के कार्यालय पहूंचा जहां से गवाह श्री भरत कुमार कनिष्ठ सहायक राजकीस उच्च माध्यमिक विधालय बडोदिया, ब्लॉक व जिला चित्तौडगढ एवं श्रीमान् अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड चित्तौडगढ से गवाह श्री हिमांशु वीरवाल सहायक अभियन्ता, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड चित्तौडगढ को दिनांक 09.08.2023 को समय करीब प्रातः 07.00 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर भिजवाने के सम्बन्ध में पाबन्द करा दिया है ।

दिनांक 09.08.2023 को समय करीब 07.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादीगण श्री ललित सोनी (प्रथम) एवं श्री नारायण सोनी (द्वितीय) ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आये और मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि हम दोनो आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपों प्रबन्धक को दी जाने वाली रिश्वत राशि 18200/– रूपये लेकर आये है, आप अग्रिम कार्यवाही करावें, जिस पर उक्त दोनो परिवादीगणों को कार्यालय कक्ष में बैठाया गया । इसके उपरान्त समय करीब 07.15 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री हिमांशु वीरवाल पुत्र श्री दिलीप वीरवाल उम्र 30 वर्ष वीरवाल निवासी मकान नंबर 389, घाटी वीरवाल मोहल्ला ग्राम मेडता तहसील गावली जिला उदयपुर हाल सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड चित्तौडगढ एवं श्री भरत कुमार पुत्र श्री विजय सिंह भाटी जाति गाली उम्र 29 साल निवासी खेजडा गली, नया दरवाजा नागोर हाल कनिष्ठ सहायक राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, बडोदिया ब्लॉक व जिला चित्तौडगढ ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष में उपस्थित आये जिन्हें पूर्व में कक्ष में बैठे हुए परिवादीगण परिवादीगण श्री ललित सोनी (प्रथम) एवं श्री नारायण सोनी (द्वितीय) का आपस मे परिचय करवाया गया तथा ट्रेप कार्यवाही मे बतौर गवाह उपस्थित रहने हेतु दोनो गवाहानों से मौखिक सहमती प्राप्त की गई । इसके उपरान्त परिवादीगणों द्वारा दिनांक 03.08.2023 को ब्यूरो कार्यालय में पेश की गई रिपोर्ट दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाई और दिखाई गंई तो परिवादीगणों ने भी शब्द–ब–शब्द सही होना स्वीकार किया व रिपोर्ट पर परिवादीगणों ने स्वयं के हस्ताक्षर होना जाहिर किया । परिवादीगणों की उपरोक्त रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये तथा कार्यालय के मालखाने से डिजिटल टेप रिकॉर्डर निकलवाई जाकर दिनांक 03.08.2023 एवं 07.08.2023 को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड हुई रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की वार्ताओं को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालु करवाकर दोनों गवाहान को सुनाई गई तो दोनो गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई । तत्पश्चात् समय करीब 09.00 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी प्रथम श्री ललित सोनी व परिवादी द्वितीय श्री नारायण सोनी की उपस्थिति में, दिनांक 03.08.2023 को समय करीब

11.30 ए.एम. पर आर.एस.बी.सी.एल. डिपो गुंगा का खेडा के पास जिला चित्तौडगढ पर आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारिक डिपो मैनेजर, आर.एस.बी.सी.एल. डिपो चित्तौडगढ से हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीगणों एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त समय करीब 10.30 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी प्रथम श्री ललित सोनी व परिवादी द्वितीय श्री नारायण सोनी की उपस्थिति में, दिनांक 07.08.2023 को समय करीब 07.13 पी.एम. पर परिवादी द्वितीय श्री नारायण सोनी की मोबाईल नम्बर 82902–05484 से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारिक डिपो प्रबन्धक, आर.एस.बी.सी.एल. डिपो चित्तौडगढ के मोबाईल नंबर 63769–14812 पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादीगणों एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तदोपरान्त समय करीब 11.34 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी प्रथम श्री ललित सोनी व परिवादी द्वितीय श्री नारायण सोनी की उपस्थिति में दिनांक 09.08.2023 को समय करीब 11.34 ए.एम पर परिवादी द्वितीय श्री नारायण सोनी के मोबाईल नम्बर 82902–05484 से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारिक डिपो प्रबन्धक, आर.एस.बी.सी.एल. डिपो चित्तौडगढ के मोबाईल नंबर 63769–14812 पर आरोपी की लोकेशन के सम्बन्ध में मालूमात करने बाबत् करवाई गई वार्ता को श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 द्वारा कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट अकब से तैयार की जावेगी । इसके बाद समय करीब 12.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी प्रथम श्री ललित सोनी व परिवादी द्वितीय श्री नारायण सोनी की उपस्थिति में दिनांक 07.08.2023 को समय करीब 07.28 ए.एम पर परिवादी प्रथम श्री ललित सोनी व परिवादी द्वितीय श्री नारायण सोनी के मोबाईल नम्बर 82905–98064 से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो मैनेजर, आर.एस.बी.सी.एल. डिपो चित्तौडगढ से मोबाईल नम्बर 63769–14812 पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादीगणों एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके उपरान्त समय करीब 12.30 पी.एम. पर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारिक, डिपो प्रबन्धक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादीगण श्री नारायण सोनी एवं श्री ललित सोनी से पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री नारायण सोनी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 26 नोट व 200 रूपये का 01 नोट कुल 13200/– रूपये तथा परिवादी श्री ललित सोनी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5000/– सहित कुल राशि 18200/– रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिस पर उक्त कुल राशि 18200/–जिनके नम्बर निम्नानुसार है : –

क्र. सं.	नोट का प्रकार	नोटो के नम्बर
1.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3SV 160708
2.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1WP 130180
3.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3HG 320361
4.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8PP 022434
5.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1TR 844968
6.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5BQ 670936
7.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1FG 977124
8.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6HP 779018
9.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4PD 278330
10.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0AT 756089
11.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4AP 367283
12.	500 रूपये का एक नोट नंबर	2UF 431417
13.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5CQ 424013
14.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0FW 963135
15.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8HB 571855
16.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5MB 841678

17.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8AQ 219428
18.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0TV 874358
19.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5DF 416504
20.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8QR 284137
21.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4TC 132694
22.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3UL 324591
23.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5GM 094495
24.	500 रूपये का एक नोट नंबर	8CW 967142
25.	500 रूपये का एक नोट नंबर	7QG 939351
26.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1CN 431706
27.	500 रूपये का एक नोट नंबर	5BK 021613
28.	500 रूपये का एक नोट नंबर	0NT 077456
29.	500 रूपये का एक नोट नंबर	9HL 483337
30.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3WM 977113
31.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1CG 095007
32.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1AE 930162
33.	500 रूपये का एक नोट नंबर	3LA 124870
34.	500 रूपये का एक नोट नंबर	6VW 911053
35.	500 रूपये का एक नोट नंबर	4AB 113133
36.	500 रूपये का एक नोट नंबर	1CR 990349
37.	200 रूपये का एक नोट नंबर	9DR 472428

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 को निर्देशित कर फिनोफ्थलीन पाउडर की शिशी मंगवाई जाकर परिवादीगों के द्वारा प्रस्तुत रिश्वत राशि 18200/– रूपयें के समस्त नोटो के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 से लगवाया गया । परिवादी श्री नारायण सोनी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री हिमांशु वीरवाल, सहायक अभियन्ता से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुए नोटों को परिवादी श्री नारायण सोनी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की दाहीनी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये। तत्पश्चात श्री मान सिंह कानि0 से ट्रेप बॉक्स में रखी एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गया उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 की अंगुलियों व अंगुठे जिस पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादीगण तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी जब परिवादी से रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है । उक्त गुलाबी घोल को श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 से बाहर नाली में फिंकवाया गया एवं अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलासो को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादीगण को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक को उनकी मांग अनुसार 18200/– रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 से दूबारा साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादीगण को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अपने–अपने मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को

छिपाते हुए परिवादीगण तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत राशि के लेन–देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात परिवादीगण को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात अपने सिर पर दोनो हाथों को फैरने का निर्धारित गोपनीय ईशारा करने के सम्बन्ध में बताया तथा उक्त गोपनीय निर्धारित ईशारे के सम्बन्ध में दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ब्यूरो टीम के सदस्यों को समझाया गया । तत्पश्चात् परिवादी श्री नारायण सोनी को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त होने वाली वार्ता की रिकार्डिंग करने हेतु संचालन की विधि पुनः समझाईस की गई तत्पश्चात श्रीमति आशा कुमारी महिला कानि0 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को सुरक्षित ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में रखवाई गई तथा महिला कानि0 को ब्यूरो कार्यालय में ही उपस्थित रहने के सम्बन्ध में हिदायत दी गई । उक्त कार्यवाही की फर्द प्रदर्शन फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तीब कर दोनो परिवादीगणों एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई । इसके उपरान्त समय करीब 12.45 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू, स्वतन्त्र गवाहान श्री हिमांशु वीरवाल सहायक अभियन्ता, श्री भरत कुमार, कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0 मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री जयराम कानि0 चालक मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय यू.पी.एस. एवं आवश्यक सामग्री के तथा ब्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण नेमीचन्द ए.एस.आई, श्री खालिद हुसैन एवं कानि0, श्री मान सिंह कानि0 मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह के एवं श्री श्याम लाल हैड कानि0 व जितेन्द्र सिंह कानि0 को निजी मोटर साईकिल से बजानिब कार्यवाही हेतु मूंगा का खेडा के लिये रवाना होते हूए परिवादीगण श्री ललित सोनी (प्रथम) एवं श्री नारायण सोनी (द्वितीय) को परिवादीगणों की निजी मोटर साईकिल से आगे–आगे रवाना कर हम सभी रवाना होकर समय करीब 01.35 पी.एम. पर मूंगा का खेडा, कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड़ के पास पहूंचें जहां पर परिवादीगण श्री ललित सोनी (प्रथम) एवं श्री नारायण सोनी (द्वितीय) अपनी निजी मोटर साईकिल के साथ आये जिस पर दोनो सरकारी वाहनों को साईड में खडा करवाकर परिवादीगणों को आवश्यक हिदायत मुनासिब कर डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चालु व बन्द करने के सम्बन्ध में पुनः समझाईश करने के पश्चात् वाहनों को साईड में अलग–अलग खडा करवाने के उपरान्त दोनो परिवादीगणों को कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिये रवाना कर हम सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यगण अपनी–अपनी उपस्थिति को छूपाते हुए परिवादीगणों के निर्धारित गोपनीय ईशारें के ईन्तजार में मुकीम रहें ।

इसके उपरान्त समय करीब 01.47 पी.एम. पर परिवादी श्री ललित सोनी ने कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो, मूंगा का खेडा के मैने गेट के बाहर आकर खडे–खडे ही अपने सिर पर हाथ फैरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिया जाने से सम्बन्धित निर्धारित ईशारा किया जिसे पास ही खडे श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 ने देखकर श्री श्याम लाल हैड कानि0 एवं श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड़ कानि0 को निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जिस पर श्री श्याम लाल हैड कानि0 ने अपने मोबाईल फोन से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनो गवाहान एवं ब्यूरो टीम के साथ अविलम्ब शिघ्रता से दोनो सरकारी वाहनों को तेज गति से चलाते हुए परिवादी श्री ललित सोनी के पास पहूंचा जिसे अपने साथ लेकर डिपो प्रबन्धक के कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो, मूंगा का खेडा के बाहर खडे परिवादी श्री नारायण सोनी के पास पहूंचकर श्री परिवादी श्री नारायण सोनी से डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर प्राप्त करने के पश्चात् बन्द कर मैनें अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी श्री ललित सोनी (प्रथम) एवं परिवादी श्री नारायण सोनी (द्वितीय) को एक साथ लेकर डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो, मूंगा का खेडा के कक्ष में प्रवेश किया जिस पर दोनो परिवादीगणों ने अपने हाथ से एक साथ ईशारा कर बताया कि यही व्यक्ति जो खडा है वहीं श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक, कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो, मूंगा का खेडा है जिसने अभी–अभी हम दोनो से रिश्वत राशि मांग अनुसार कुल 18200 रूपये मेरे से (श्री नारायण सोनी) ग्रहण की है जो इन्होने अपने हाथों से प्राप्त कर गिनने के उपरान्त टेबल पर रखे हुए कपडे के नेपकीन में लपेट कर रखे है । जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व ट्रेप पार्टी से सम्बन्धित सदस्यों का परिचय देकर अपने आने के गन्तव्य से श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो मैनेजर को अवगत कराया तथा उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम रविन्द्र कुमार पारीक पुत्र श्री रामगोपाल पारीक उम्र 58 साल जाति पारीक निवासी मकान नम्बर 10 एम. 10, नवजीवन स्कूल के पास, आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाडा हाल डिपो मैनेजर डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो, मूंगा का खेडा होना बताया । इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक से परिवादी

श्री ललित सोनी के 5000 रूपये एवं श्री नारायण सोनी के 13200 रूपये कुल रिश्वत राशि 18200 रूपये अभी–अभी आपने श्री नारायण सोनी से ली गई रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक ने घबराते हुए बताया कि मैनें कोई रिष्वत राशि नही ली है, मैनें तो प्रत्येक ट्रक जो डिपो में आता है उसके खाली कराने का कार्य ठेकेदार के आदमी श्री ललित सोनी एवं श्री नारायण सोनी के द्वारा कराया जाता है, और यह प्रत्येक ट्रक से 50–50 रूपये की राशि लेते है जो मैंने इनको काफी बार मना किया फिर भी यह दोनो नाजायज रूप से लेते है, मैनें गलती से इनको पहले कहा था कि आपके तो ठेकेदार को पेमेन्ट हमारा डिपो करता है, आप तो मेरे लिये प्रति ट्रक 300 रूपये के हिसाब से 5000 रूपये तो श्री ललित सोनी के बन रहे थे और श्री नारायण सोनी के 13200 रूपये की राशि बन रही थी जिस पर दोनो ने मिलकर आज अभी कुछ समय पूर्व मेरे पास दोनो आये और श्री नारायण सोनी ने मुझे श्री ललित सोनी के सामने ही दोनो की डाला (ट्रक) खाली करांई के नाम के पूर्व में बातचीत हो रखी थी वह राशि 18200 रूपये मुझे जब अभी मैं खाना खा रहा था तब दिये थे जो मैनें गिनकर अपने सामने टेबल पर रखे नेपकीन मे लपेटकर रखें है जो आपके सामने टेबल पर पडा है । मैं यहां से कहीं नही गया हूं और मैं रटोमा एवं कैन्सर की बीमारी से पिडीत व्यक्ति हूं । मैंने आप लोगो को डिपो परिसर में लगे सी.सी.टी.वी. कैमरे की स्क्रीन मेरी टेबल पर लगी हुई को देखकर मुझे आभास हो गया था कि कुछ गडबड है, इसलिये मैं अपनी सीट से फटा–फट उठकर मेरे कार्यालय कक्ष के अन्दर ही बने बाथरूम के अन्दर गया और वाशवेशन में हाथ धोकर मैं पुनः अपने कक्ष में आ ही रहा था कि इतने में आपकी टीम मेरे कार्यालय कक्ष में आ गई, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो मैनेजर द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में परिवादी श्री ललित सोनी से पूछा तो परिवादी श्री ललित सोनी ने बताया कि दिनांक 03.08.2023 को मैं व मेरा साथी श्री नारायण सोनी ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होकर डिपो मैनेजर श्री रविन्द्र कुमार पारीक के द्वारा रिश्वत राशि मांगने के सम्बन्ध में एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर मेरे व मेरे साथी श्री नारायण सोनी के साथ ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर पदस्थापित श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 को हमारे साथ रिश्वत राशि मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने हेतु साथ में भेजा था जिस पर उक्त दिनांक को मैं व मेरे साथी श्री नारायण सोनी ने डिपो मैनेजर श्री रविन्द्र कुमार पारीक से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान मेरे हिस्से के 5000 रूपये एवं मेरे साथी श्री नारायण सोनी के हिस्से के 13200 रूपये कुल राशि 18200 रूपये लिये जाने से सम्बन्धित वार्ता एवं दिनांक 07.08.2023 को श्री नारायण सोनी के मोबाईल से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में मेरे व मेरे साथी श्री नारायण सोनी एवं श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो मैनेजर के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता में भी पूर्व में दिनांक 03.08.2023 को मांगी गई रिष्वत राशि के सम्बन्ध में मुझसे एवं मेरे साथी श्री नारायण सोनी से वार्ता की गई थी । मेरे अलावा मेरे साथी श्री नारायण सोनी एवं श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो मैनेजर के मध्य दिनांक 07.08.2023 को अलग से भी मोबाईल पर वार्ता की गई थी जो भी ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी एवं दिनांक 07.08.2023 को मेरे साथी श्री नारायण सोनी ने हमारे ठेकेदार श्री चन्द्रेश कुमार तंवर से मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता को भी ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी जिसे आप सुन सकते है । अभी आज दिनांक 09.08.2023 को मैं व मेरा साथी श्री नारायण सोनी डिपो मैनेजर साहब श्री रविन्द्र कुमार पारीक के पास उनके कार्यालय में गये जिस पर उन्होने हमारे से पूर्व तय अनुसार रिश्वत राशि लेन–देन से सम्बन्धित वार्ता करते हुए मेरे सामने मेरे साथी श्री नारायण सोनी द्वारा मेरे हिस्से से सम्बन्धित राशि 5000 रूपये एवं मेरे साथी श्री नारायण सोनी से 13200 रूपये की रिश्वत राशि सहित कुल रिश्वत राशि 18200 रूपये डिपो मैनेजर साहब श्री रविन्द्र कुमार पारीक को दिये जो इन्होने अपने हाथों में ग्रहण करने के उपरान्त उक्त रिश्वत राशि को गिनने के पश्चात् अपने कार्यालय कक्ष की टेबल पर रखे हुए नेपकीन मे लपेटकर रख दिये जाने के उपरान्त मैं डिपो मैनेजर के कक्ष से बाहर आकर उक्त डिपो के मैन गेट के बाहर आकर पूर्व निर्धारित ईशारा आप सभी ट्रेप पार्टी के सदस्यों को किया जाना बताया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री ललित सोनी द्वारा बताये गये तथ्यों के सम्बन्ध में परिवादी श्री नारायण सोनी से दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष पूछा तो परिवादी श्री नारायण सोनी ने परिवादी श्री ललित सोनी द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की । इसके उपरान्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो परिवादीगणों के द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक से पुनः रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मेरे से गलती हो गई है, मैं इनको देख लूंगा और मौके पर ही गाली गलौच करने लगा जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो प्रबन्धक द्वारा परिवादीगणों को गाली गलौच करने के सम्बन्ध में मना करते हुए कहा कि इस तरह के अपशब्दो का प्रयोग नही

करें । तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो प्रबन्धक को पुनः तसल्ली देते हुए और कोई बचाव में कहना चाहते है तो कहे जिस पर आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो प्रबन्धक ने कहा कि सब कुछ हो चुका है, अब मैं कुछ नही कहना चाहता हूं, जो हुआ वह सब आपके सामने है, मैं अब कोई जानकारी नही देना चाहता हूं । आप अपनी कार्यवाही करें । मैं कहीं नही भागूंगा । जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक को दिनांक 03.08.2023 को एवं 07.08.2023 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कों एवं मोबाईल-वार्ताओं को डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता को चालू करवाकर सूनाई गई तो आरोपी ने उक्त वाताओं के सम्बन्ध में बताया कि जो भी वार्ता होनी थी वो हो गई है अब मैं उक्त वार्ताओं के सम्बन्ध में कुछ नही कह सकता हूं । तत्पश्चात् उपरोक्त परिवादीगणों एवं आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिगिटेड डिपो, मूंगा का खेडा के कथनों से रिश्वत राशि ग्रहण की गई की स्वीकारोक्ति पर आरोपी का दाहिना हाथ श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0 एवं बायां हाथ श्री श्याम लाल हैड कानि0 द्वारा कलाई के उपर से हाथ पकडकवाकर उनके द्वारा ग्रहण की रिश्वत राशि के बारें में प्रमाणिकता हेतु सरकारी वाहन टवेरा मे से श्री नेमीचन्द ए.एस.आई से ट्रेप बॉक्स मंगवाया गया तथा ट्रेप बॉक्स में सें दो साफ कांच के गिलास स्वतंत्र गवाह श्री हिमान्शु वीरवाल, सहायक अभियन्ता से निकलवाये जाकर कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो, मूंगा का खेडा के कक्ष में रखें पीने के पानी से पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में स्वतन्त्र गवाह श्री हिमान्शु वीरवाल, सहायक अभियन्ता से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो मैनेजर के दांहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो उक्त घोवन का रंग गुलाबी होना पाया जिस पर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दुसरे कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डूबोकर धुलवाई गई तो उक्त घोवन का रंग गुलाबी होना पाया जिस पर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH -1 व LH- 2 से चिन्हित कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो प्रबन्धक के कार्यालय कक्ष में रखी हुई टेबल जिस पर रिश्वत राशि कपडे के नेपकीन मे लपेटे हुए रखे हुए को गवाह श्री हिमान्शु वीरवाल, सहायक अभियन्ता से उठवाकर उसको खोला गया तो उसमे कुछ नोट मिले जिस पर उक्त नोटों को दोनो स्वतन्त्र गवाहान से गिनवाया तो दोनो गवाहान ने 500-500 रूपये 36 नोट एवं 200 रूपये का 01 नोट कुल 18200 हजार रूपये होना बताया जिस पर उक्त बरामद शुदा रिश्वत राशि के नोटो का मिलान पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहों द्वारा करवाया गया तो नोटो के नम्बरों को मिलान हुबहु होना पाया गया तथा बरामद शुदा उक्त नोटों को एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट बंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया। तत्पश्चात् रिश्वत राशि बरामदगी नेपकीन का भी धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक साफ कांच के गिलास स्वतंत्र गवाह श्री हिमान्शु वीरवाल, सहायक अभियन्ता से निकलवाये जाकर कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेडं डिपो, मूंगा का खेडा के कक्ष में रखें पीने के पानी से पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में स्वतन्त्र गवाह श्री हिमान्शु वीरवाल, सहायक अभियन्ता से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर कांच की गिलास के घोल में आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो मैनेजर के कक्ष में टेबल जिस पर नेपकीन में लपेटी हुई रिश्वत राशि मिली उक्त कपडे के नेपकीन को डूबोकर धुलवाया गया तो उक्त घोवन का रंग हल्का गटमैला होना पाया जिस पर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क N-1 व N-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो प्रबन्धक से कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिगिटेड डिपो, मूंगा का खेडा में आने वाले ट्रकों का इन्द्राज किसमें किया जाता है एवं उक्त कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर के सम्बन्ध मे पूछा तो आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो प्रबन्धक ने बताया कि डिपो में जो भी ट्रक माल से भरा हुआ आता है उस वाहन का इन्द्राज गैन गेट पर उपस्थिति गार्ड के पास संधारित एक रजिस्टर रखा जाता है और

उपस्थिति रजिस्टर कार्यालय में है जिस पर उपस्थिति रजिस्टर एवं गार्ड रजिस्टर जिसमें डिपो में आने एवं जाने वाले वाहनों को इन्द्राज किया जाता है जिस पर गार्ड रजिस्टर का अवलोकन किया गया तो उक्त गार्ड रजिस्टर क्रम संख्या 24 दिनांक 12.04.2023 से प्रारम्भ होकर क्रम संख्या 383 दिनांक 09.08.2023 तक संधारित हो रखा है जिस पर उक्त गार्ड रजिस्टर के अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा उपस्थिति रजिस्टर का भी अवलोकन किया गया तो उपस्थिति रजिस्टर वर्ष मई 2020–21 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2023 तक माह अगस्त 2023 तक संधारित हो रखा है जिस पर उक्त उपस्थिति रजिस्टर के अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर गार्ड रजिस्टर एवं उपस्थिति रजिस्टर को कब्जे ब्यूरो लिया जाकर शामील कार्यवाही किया गया । तत्पश्चात् दौराने कार्यवाही डिपो परिसर में खडे ट्रक डाईवरों/मालिक जो उपस्थित है जिसमे से 10 ट्रक डाईवरों/मालिकों के मौके पर पर्चा बयान एवं मुचलके लिये जाकर शामील कार्यवाही किये गये । तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री हिमांशु वीरवाल सहायक अभियन्ता से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के वक्त ट्रेप पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनीं जेब में एक पर्स मिला जिसकी तलाशी लिवाई गई तो उसमें कुल 6530 रूपये नकद मिलें जिस पर उक्त राशि के सम्बन्ध में आरोपी को पूछा तो आरोपी द्वारा उक्त राशि के सम्बन्ध में मौके पर कोई प्रत्युत्तर नही दिया। तत्पश्चात् आरोपी के निजी बेग की तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री हिमांशु वीरवाल सहायक अभियन्ता से लिवाई गई तो बेग में 300 रूपये नकद मिलें जिस पर उक्त राशि के सम्बन्ध में आरोपी को पूछा तो आरोपी ने बताया कि उक्त राशि 300 अभी आपकी ब्यूरो टीम के आने से पूर्व एक ट्रक ड्राईवर द्वारा डाले (ट्रक खाली कराने के) के देकर गया जो मैनें अभीं कुछ पहले अपने बेग में रखे है ये वही राशि है । जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी के पर्स में मिली राशि 6530 रूपये एवं बेग में मिली राशि 300 रूपये संदिग्ध रिश्वत राशि प्रथम दृष्टया पाया जाने से उक्त दोनो राशि को वजह सबूत जब्त की गई जिसकी फर्द जब्ती पृथक से मूर्तीब कर शामील पत्रावली की जावेगी ।

आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक एवं परिवादीगण श्री ललित सोनी एवं श्री नारायण सोनी के मध्य आपस में कॉल/साधारण क्रॉल पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं एवं रिश्वत राशि लेन–देन से पूर्व हुई लोकेशन मालूमात बाबत् की गई मोबाईल वार्ता होना पाये जाने से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो प्रबन्धक के उक्त मोबाईल को वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी के मोबाईल को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया जावेगा । उपरोक्त समस्त कार्यवाही की लिखा पढी जरिये लेपटॉप मौके पर कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो, मूंगा का खेडा में बैठकर की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरागदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये ।

तत्पश्चात् समय करीब 05.15 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादीगण श्री ललित सोनी एवं श्री नारायण सोनी की निशादेही से घटनास्थल एवं नक्शा मौका कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके बाद समय करीब 05.30 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू, स्वतन्त्र गवाहान श्री हिमांशु वीरवाल सहायक अभियन्ता, श्री भरत कुमार, कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री ओमप्रकाश शर्मा हैड कानि0 मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री जयराम कानि0 चालक मय ट्रेप बॉक्स मय लेपटॉप, प्रिन्टर मय यू.पी.एस. एवं आवश्यक सामग्री के तथा ब्यूरो टीम के अन्य सदस्यगण नेगीचन्द ए.एस.आई, श्री खालिद हुसैन एवं कानि0, श्री मान सिंह कानि0 मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री शेर सिंह के एवं श्री श्याम लाल हैड कानि0 व जितेन्द्र सिंह कानि0 को निजी मोटर साईकिल से तथा उक्त कार्यवाही में समस्त जब्त शुदा आर्टिकल्स, धोवन के सैम्पल, बरामद शुदा रिश्वत राशि एवं आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक के एवं परिवादीगण श्री ललित सोनी (प्रथम) एवं श्री नारायण सोनी (द्वितीय) को परिवादीगणों की निजी मोटर साईकिल के बाद फारीख मूंगा का खेडा से ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ के लिये रवाना होकर समय करीब 06.10 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू, मय हमराहीयान के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पहूंचा जहां पर उक्त कार्यवाही में समस्त जब्त शुदा आर्टिकल्स, धोवन के सैम्पल, बरामद शुदा रिश्वत राशि को सुरक्षित मालखाना प्रभारी श्री श्याम लाल हैड कानि0 को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखवाई गई तथा आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक को कार्यालय निगरानी में बैठाया गया तथा खाना खिलाकर आरोपी को उसकी बिमारी से सम्बन्धित मेडीसन लिये जाने की हिदायत मुनासिब की गई ।

इसके उपरान्त समय करीब 06.20 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी प्रथम श्री ललित सोनी व परिवादी द्वितीय श्री नारायण सोनी की उपस्थिति में, दिनांक 07.08.2023 को समय करीब 07.49 पी.एम. पर परिवादी द्वितीय श्री नारायण सोनी की मोबाईल नम्बर 82905--98064 (इनकमींग कॉल) से श्री चन्द्रेश कुमार तंवर ठेकेदार के मोबाईल नंबर 98292--16413 पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई थी जिस पर उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादीगणों एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 08.10 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी प्रथम श्री ललित सोनी व परिवादी द्वितीय श्री नारायण सोनी की उपस्थिति में, दिनांक 09.08.2023 को समय करीब 11.34 ए.एम. पर परिवादी द्वितीय श्री नारायण सोनी की मोबाईल नम्बर 82902--05484 (ऑउट--गोईन्ग कॉल) से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक के मोबाईल नंबर 63769--14812 पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई थी जिस पर उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादीगणों एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात् समय करीब 09.00 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी प्रथम श्री ललित सोनी व परिवादी द्वितीय श्री नारायण सोनी की उपस्थिति में, दिनांक 09.08.2023 को समय करीब 01.44 पी.एम. पर परिवादीगणों एवं आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक से रिश्वत राशि लेन--देन के दौरान आमने--सामने रूबरू हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड की गई थी जिस पर उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से पृथक से तैयार करवाई गई जिस पर दोनों गवाहान, परिवादीगणों एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त समय करीब 09.05 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक पुत्र श्री रामगोपाल पारीक उम्र 58 साल जाति पारीक निवासी मकान नम्बर 10 एम. 10, नवजीवन स्कूल के पास, आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाडा हाल डिपो मैनेजर डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ को परिवादीगण श्री ललित सोनी (प्रथम) एवं श्री नारायण सोनी (द्वितीय) से कुल राशि 18200 रूपये की रिश्वत राशि लिये जाने के उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) से अवगत कराया जाकर हस्बकायदा गिरफतार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के पुत्र श्री स्पर्श कुमार पारीक को मौके पर ही दी गई । फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक की गिरफ्तारी की सूचना उससे सम्बन्धित श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा शहर, जिला भीलवाडा के नाम पत्र जारी कर पृथक से प्रेषित किया गया ।

इसके पश्चात् समय करीब 09.15 पी.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष वक्त गिरफ्तारी आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक पुत्र श्री रामगोपाल पारीक उम्र 58 साल जाति पारीक निवासी मकान नम्बर 10 एम. 10, नवजीवन स्कूल के पास, आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाडा हाल डिपो मैनेजर डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ की जामा तलाशी गवाह श्री हिमांशु वीरवाल, सहायक अभियन्ता से लिवाई गई तो अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाईल फोन रियल--मी कम्पनी, मॉडल नम्बर आर.एम.एक्स. 1901 बरंग सिल्वर--साईन गिला जिसमें दो सीम लगी हुई है तथा जिसके मोबाईल नम्बर 94137--05077 एवं 63769--14812 होकर उक्त मोबाईल फोन के आई.एम.ई.आई नम्बर 864482041778190 तथा 864482041778182 है । उक्त मोबाईल फोन को उक्त कार्यवाही में प्रकरण में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क "**M**" दिया गया । उक्त कार्यवाही की फर्द मोबाईल जब्ती पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय करीब 09.25 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादीगणों के समक्ष आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ के विरुद्व आज दिनांक 09.08.2023 को की गई ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी की जामा तलाशी श्री हिमान्शु वीरवाल सहाय अभियन्ता से लिवाई गई तो आरोपी के वक्त ट्रेप पहनी हुई पेन्ट के पीछे की दाहिनीं जेब में एक पर्स गिला जिसकी तलाशी गवाह से लिवाई गई तो उसमें कुल 6530 रूपये नकद मिलें जिस पर उक्त राशि के सम्बन्ध में आरोपी को पूछा तो आरोपी द्वारा उक्त राशि के सम्बन्ध में मौके पर कोई प्रत्युत्तर नही दिया। तत्पश्चात् आरोपी के निजी बेग की तलाशी स्वतन्त्र गवाह

श्री हिमांशु वीरवाल सहायक अभियन्ता से लिवाई गई तो बेग में 300 रूपये नकद मिलें जिस पर उक्त राशि के सम्बन्ध में आरोपी को पूछा तो आरोपी ने बताया कि उक्त राशि 300 अभी आपकी ब्यूरो टीम के आने से पूर्व एक ट्रक ड्राईवर द्वारा डाले (ट्रक खाली कराने के) के देकर गया जो मैनें अभी कुछ पहले अपने बेग में रखे है ये वही राशि है । जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी के पर्स में मिली राशि 6530 रूपये एवं बेग में मिली राशि 300 रूपये सहित कुल राशि 6830 रूपये को संदिग्ध रिश्वत राशि प्रथम दृष्टया पाया जाने से उक्त दोनो राशि को वजह सबूत जब्त किये जाकर उक्त कार्यवाही की फर्द जब्ती पृथक से मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द को शामील कार्यवाही किया गया ।

इसके उपरान्त समय करीब 10.00 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादीगणों के समक्ष रिकॉर्ड शुदा (1) दिनांक 03.08.2023 को समय करीब 11.30 ऐ.एम पर परिवादीगण श्री ललित सोनी एवं श्री नारायण सोनी की आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारिक, डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ के मध्य आमने–सामने रूबरू हुई मांग सत्यापन वार्ता, तथा (2) दिनांक 07.08.2023 को समय करीब 07.13 पी.एम. परिवादी श्री नारायण सोनी की एवं आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारिक, डिपो प्रबन्धक के मध्य हुई रिश्वत राशि से सम्बन्धित मोबाईल वार्ता, व (3) समय करीब 07.28 पी.एम पर परिवादीगण श्री नारायण सोनी व श्री ललित सोनी की एवं आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारिक, डिपो प्रबन्धक, के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, एवं (4) समय करीब 07.49 पी.एम पर परिवादी श्री नारायण सोनी की व ठेकेदार श्री चन्द्रेश सिंह तंवर के मध्य हुई मोबाईल वार्ता, (5) दिनांक 09.08.2023 परिवादी श्री नारायण सोनी (द्वितीय) की आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारिक, डिपो प्रबन्धक के मोबाईल पर समय करीब 11.34 ए.एम पर हुई वार्ता एवं (6) रिश्वत राशि लेन–देन के वक्त समय करीब 01.44 पी.एम पर परिवादी श्री ललित सोनी (प्रथम) व परिवादी श्री नारायण सोनी (द्वितीय) की आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारिक, डिपो प्रबन्धक के मध्य हुई वार्ताओं से सम्बन्धित उपरोक्त 06 वार्तायें जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर मे लगे हुए मेमोरी कार्ड में सुरक्षित है, डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर उपरोक्त 06 वार्ताओ की 05 डब सीडीया श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 से तैयार करवाई गई जिसमें से एक सीडी माननीय न्यांयालाय, एक सीडी आरोपी, एक सीडी नमूना आवाज हेतु, एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु एवं एक सीडी काउण्टर सीडी के रूप में तैयार कर उक्त सभी सीडीयो पर स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीगण एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । अनुसंधान अधिकारी की सीडी को खुला रखा गया तथा शेष तीन सीडीयो को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में रखवा सीलचीट कर कपडे की थैली पर भी स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीगण एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके बाद समय करीब 10.30 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादीगणों के समक्ष रिकॉर्ड शुदा दिनांक 03.08.2023, 07.08.2023 एवं दिनांक 09.08.2023 परिवादीगण श्री ललित सोनी (प्रथम) व परिवादी श्री नारायण सोनी (द्वितीय) की आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारिक, डिपो प्रबन्धक एवं उनके ठेकेदार श्री चन्द्रेश कुमार तंवर के मध्य हुई वार्ताओं से सम्बन्धित उपरोक्त 06 वार्तायें जो कि कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस टेप रिकार्डर मे रिकार्ड की गई थी । उक्त 06 ऑडियों फाईलो को ए–डेटा कम्पनी के 16 जी.बी. पेन ड्राईव स्टील में सेव किया जाकर उक्त पेन ड्राईव को एक कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीगण एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क **"पी."** अंकित कर कपडे की थैली पर भी स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीगण एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके पश्चात् समय करीब 11.00 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादीगणों के समक्ष रिकॉर्ड शुदा दिनांक 03.08.2023, 07.08.2023 एवं दिनांक 09.08.2023 परिवादीगण श्री ललित सोनी (प्रथम) व परिवादी श्री नारायण सोनी (द्वितीय) की आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारिक, डिपो प्रबन्धक एवं उनके ठेकेदार श्री चन्द्रेश कुमार तंवर के मध्य हुई वार्ताओं से सम्बन्धित उपरोक्त 06 वार्तायें जो कि कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में लगे हुए ADATA कम्पनी के 16 जी.बी. मेमारी कार्ड में रिकॉर्ड है । उक्त सरकारी ADATA कम्पनी के 16 जी.बी. मेमारी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेटकर एक सफेद कागज के लिफाफे मे डालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर उक्त लिफाफे को एक सफेद कपडे की थैली मे रखकर कपडे की थैली को सिल्ड् कर मार्क **"M-1."** अंकित कर कपडे की थैली पर भी स्वतन्त्र गवाहान, परिवादीगण एवं अन्य सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । इसके उपरान्त समय करीब 11.20 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौडगढ से उसकी आवाज का नमूना चाहने हेतु पृथक से तहरीर दी गई तो आरोपी द्वारा

उक्त पत्र की प्रति पर अपनी आवाज नमूना नहीं देने हेतु अंकित किया गया जिस पर उक्त पत्र की प्रति को शामील पत्रावली किया गया।

दिनांक 10.08.2023 को समय करीब 12.30 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित परिवादीगण श्री ललित सोनी एवं श्री नारायण सोनी तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री हिमांशु वीरवाल, सहायक अभियन्ता एवं श्री भरत कुमार कनिष्ठ सहायक को बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रूखसत किया गया । तत्पश्चात् समय करीब 02.00 ए.एम. पर श्री श्याम लाल शर्मा हैड कानि0 एवं श्री श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक को जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 के राजकीय चिकित्सालय चित्तौडगढ से आरोपी का मेडीकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आरोपी को सुरक्षित पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ मे जमा करवा रसीद प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर जरिये तहरीर देकर रवाना किया गया जो समय करीब 02.40 ए.एम. पर श्री श्याम लाल शर्मा हैड कानि0 एवं श्री श्री जितेन्द्र सिंह कानि0 जरिये सरकारी वाहन नम्बर टवेरा मय श्री शेर सिंह कानि0 ड्राईवर नम्बर 296 के साथ आरोपी का मेडीकल परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर आरोपी को सुरक्षित पुलिस थाना कोतवाली जिला चित्तौडगढ मे जमा करवा रसीद प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आये। उक्त दोनो तहरीर को शामील कार्यवाही किया गया । इसके उपरान्त समय करीब 11.00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश सिंह सांदू द्वारा श्री नेमीचन्द ए.एस.आई एवं श्री मान सिंह कानि0 को जरिये सरकारी वाहन नम्बर टवेरा मय श्री जयराम कानि0 ड्राईवर को आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर लाने हेतु रवाना किया गया जो समय करीब 11.40 ए.एम. पर आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौडगढ से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित आये जिस पर आरोपी को ब्यूरो कार्यालय की निगरानी में बैठाया गया । इसके उपरान्त उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ से रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध मे पूछताछ कर पृथक से पूछताछ नोट तैयार कर पूछताछ नोट पर आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पूछताछ नोट को शामील पत्रावली किया गया । इसके उपरान्त समय करीब 02.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री नेगीचन्द ए.एस.आई, श्री मान सिंह कानि0 मय गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ को मय सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री जयराम कानि0 वास्ते जे.सी. रिमाण्ड पेश करने मय केस डायरी के माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर के लिये रवाना किया ।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से यह पाया गया है कि आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ द्वारा एक लोकसेवक होते हुये अपने वैद्य परिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादीगण श्री ललित सोनी (प्रथम) एवं श्री नारायण सोनी (द्वितीय) जो कि राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ में ठेकेदार श्री चन्द्रेश सिंह तंवर के अधिनस्थ मजदूरी का कार्य करते है जिन्हें प्रति ट्रक (डाला) खाली करने के उपरान्त ईनाम के तौर पर ट्रक ड्राईवर/मालिक द्वारा 100 रूपये से लगभग 300 रूपये की राशि दी जाती है एवं छोटे वाहन की भराई/खाली कराई के 50 रूपये प्रति वाहन के हिसाब से स्वेच्छा से डाला खाली कराने के नाम से मजदूरों को देते है, परन्तु डिपो प्रबन्धक श्री रविन्द्र कुमार पारीक द्वारा हमारे से हमारे हिस्से की राशि को लेना चाहता है, और धमकी देता है कि यदि मुझे डाला खाली कराने के नाम से 300 रूपये प्रति डाला आप एकत्रित करके नही दोगें तो मैं ठेकेदार श्री चन्द्रेश सिंह तंवर से आप दोनो की मजदूरी से उक्त राशि को काट लूंगा एवं यहां मजदूरी से निकाल दूंगा कि धमकी देता है । परिवादीगण श्री ललित सोनी (प्रथम) के डाला खाली कराने के 5000 रूपये एवं श्री नारायण सोनी (द्वितीय) के डाला खाली कराने के 13200 रूपये सहित कुल रिश्वत राशि 18200 रूपये की मांग कर परेशान करने पर परिवादीगणों द्वारा दिनांक 03.08.2023 को ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ पर उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट पेश की जिस पर उक्त दिनांक 03.08.2023 एवं 07.08.2023 को करवाई गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक द्वारा रिश्वत राशि मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 09.08.2023 को नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही का आयोजन करते हुए परिवादी श्री ललित सोनी (प्रथम) के डाला खाली कराने के 5000 रूपये एवं श्री नारायण सोनी (द्वितीय) के डाला खाली कराने के 13200 रूपये सहित कुल

रिश्वत राशि 18200 रूपये की रिश्वत राशि आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ द्वारा अपनी मांग अनुसार प्राप्त करना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है जो कि धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है।

उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित मामले में श्री चन्द्रेश सिंह तंवर जो कि कार्यालय राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ में लेबर ठेकेदार है द्वारा भी ब्यूरो के परिवादीगणों को आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक डिपो प्रबन्धक को रिश्वत राशि देने के सम्बन्ध में कहा गया था जो कि एक प्रकार का दुष्प्रेरण है । अतः दौराने अन्वेषण इस पर विशेष खुलासा किया जावेगा ।

अतः आरोपी श्री रविन्द्र कुगार पारीक पुत्र श्री रामगोपाल पारीक उम्र 58 साल जाति पारीक निवासी मकान नम्बर 10 एम. 10, नवजीवन स्कूल के पास, आर.सी. व्यास कॉलोनी भीलवाडा हाल डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मूंगा का खेडा, तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ के विरूद्व बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन मुख्यालय प्रेषित है ।

भवदीय,

(कैलाश सिंह सांदू)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
चित्तौडगढ

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कैलाश सिंह सांदू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से आरोपी श्री रविन्द्र कुमार पारीक, डिपो प्रबन्धक, राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मूंगा का खेड़ा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) में घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 217/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

10.8.23

(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2549-53 दिनांक 10.08.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. शासन उप सचिव, कार्मिक(क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।

10.8.23

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।